न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 8/2015 (उदयपुर आर्डर)

1. प्रभूलाल पिता नारायणलाल जी कुमावत, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. अम्बालाल पिता नानूराम जी कुमावत, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मूलचन्द पिता नानूराम जी कुमावत, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. गोपीलाल पिता नानूराम जी कुमावत, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. देवीलाल पिता नारायणलाल जी कुमावत, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. भेरूलाल पिता नारायणलाल जी कुमावत, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. केलूराम पिता नारायणलाल जी कुमावत, निवासो आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता गेगा जी मेघवाल, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. बगदीराम पिता गेगा जी मेघवाल, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. धन्ना पिता गेगा जी मेघवाल, निवासी आकोदडा (रामपुरा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
आदेश जिला कलक्टर उदयपुर दि.

18–11–2014, प्र.सं. 54–ए/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस): 1– श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण

2– एस.एल. मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

18–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आकरोदा में आराजी नंबर 42 रकबा 20 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें से 5 बीघा भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 22–01–1975 को विपक्षीगण के पिता को किया गया, जो बिना कमेटी की राय के किया गया, क्योंकि आवंटन के समय कोरम पूर्ण नहीं था, केवल उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर व तहसोलदार वल्लभनगर ही उपस्थित थे। पटवारी ने अपने पर्चा मौके में आराजी नंबर 42 को प्रार्थीगण के आराजी नंबर 33 के आधे भाग के सामने तक बताया गया, जिसमें श्मशान रास्ते की भूमि भी शामिल है, जिसका आवंटन विपक्षी को कभी नहीं हुआ। विपक्षी को 5–5 बीघा भूमि का आवंटन 2 बार हुआ है, जबकि उसके द्वारा कुल 20 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। इस प्रकार आवंटन धोखे से प्राप्त किया गया है तथा 10 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा करते हुए फाटक लगा दी है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण ने आवंटन के 37 वर्ष बाद तथा आवंटी के मृत्यु हो जाने व खातेदार प्राप्त हो जाने के

बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कोई लोकस स्टैण्डाइ नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–03–2015 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–05–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री एस. एल. मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नियम 13–ए के तहत कोरम प्र्ण नहीं होते हुए भी कोरम पूर्ण मानकर निर्णय देने में भूल की है। आवंटन पूर्ण उद्घोषणा जारी नहीं हुई है तथा आवंटन के समय राय केवल तहसीलदार द्वारा दी गयी है। कथित आवंटन गेगा द्वारा धोखे व मिसरिप्रेजेन्टशन से प्राप्त किया गया है, ऐसी स्थिति में मयाद का कोई महत्व नहीं रहता। आवंटन को खातेदारी मिलने के बाद भी निरस्त किया जा सकता है। आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन काश्तकार नहीं था तथा गेगा स्वयं द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गयी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए कथित आवंटन निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 2002 पेज 1, आर.आर.डी. 1990 पेज 465, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 1220, आर.बी.जे. 2007 पेज 492, सिविल टाईम्स 2009 (1) राज. पेज 360, आर.आर.डी. 1984 पेज 385, आर.आर.डी. 1982 एन.ओ.सी. पेज 21, आर.आर.डी. 1985 पेज 340, आर.आर.डी. 1985 पेज 584, आर.आर.डी. 1993 पेज 652, आर.आर.डी. 1982 पेज 497, आर.बी.जे.

2006 पेज 272, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 113 एवं आर.आर.डी. 1982 पेज 520 पेश कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उसके पिता को विधिवत आवंटन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की पूर्ण जांच कर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 82, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 884 एवं आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 756 पेश कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के नाम दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी अनुसार आवंटी द्वारा भूमि पर मक्की, ग्वार व गेहूँ की काश्त की गयी है। आवंटन कमेटी द्वारा 22–01–1975 को विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट क पिता गेगा को विधिवत आवंटन किया गया है तथा आवंटन पश्चात् उसे कब्जा भी सिपुर्द किया गया है। उक्त आवंटन वर्ष 1975 में किये जाने के बाद अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2013 में अर्थात करीब 38 वर्ष बाद उक्त आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों को सुनने के बाद विस्तृत विवेचन करते हुए यह माना है कि ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 अनुसार यदि आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो तो इतने लम्बे वर्षो बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवचन अनुसार उक्त आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता पाया जाना प्रकट नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन के अंतिम पैरा में यह भी वर्णित किया है कि आवंटी द्वारा यदि अधिक भूमि पर कब्जा किया गया हो आराजी नंबर 33 पर उसका कब्जा हो तो तहसीलदार बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करें। अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन उपलब्ध दस्तावेजों की रोशनी में

उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–03–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर